चिकित्सा विभाग

विविध

15 जून, 1966 ई0

सं0 7065-ग/5-1012 (5)-52-यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 10, 1939) की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (इ) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली उक्त ऐक्ट की उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विज्ञप्ति संख्या 6141-ग-5-1012(5) - 52 दिनांक 28 जनवरी, 1996 के अन्तर्गत पहले प्रकाशित की जा चुकी है --

भाग-1 -- सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली "भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार की सेवा नियमावली, 1966" कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2-- यदि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस नियमावली में --

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य यू0पी0इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 10, 1939) से है;

(2) "परिषद" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन संघटित भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(3) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत के संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा समझा जाता है;

(4) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(5) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(6) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद के अध्यक्ष से है, तथा

(7)"रजिस्ट्रार" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन नियुक्त परिषद के रजिस्ट्रार से है।

पदनाम

3-- परिषद् का रजिस्ट्रार परिषद् का पूर्णालिक वैतनिक सेवक होगा।

भाग-2 नियुक्ति

नियुक्ति

4-- नियम 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद प्रेस में विज्ञापन देकर इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से रजिस्ट्रार के पद का चयन करेगी।

भाग-3 अर्हताएं

अर्हतायें

5- कोई व्यक्ति तभी रजिस्ट्रार नियुक्त किया जायगा यदि--

(1) अत्यावश्यक: (क) वह भारत का नागरिक या सिक्किम की प्रजा हो।

(ख) उसकी आयु, उस वर्ष की, जिसमें नियुक्ति की जाय, पहली जनवरी को 30 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो,

(ग) वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो,

(घ) उसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री हो,

(ङ) वह देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ और लिख सकता हो, और

(च) उसे किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक पद पर काम करने का कम से कम पांच वर्ष की प्रशासकीय क्षमता एवं अनुभव हो।

(2) अधिमान्यतायें -- (क) उसके पास अधिनियम के अधीन रजिस्टर करने योग्य आयुर्वेद या यूनानी तिब्बी में पदवी, डिप्लोमाया डिग्री हो।

(ख) उसे उर्दू का काम चलाऊ ज्ञान हो।

चरित्र

6-- यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो जो उसे परिषद के अधीन रजिस्ट्रारके रूप में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त बनायें। परिषद् इस सम्बन्ध में अपने को स्वयं सन्तुष्ट करेगी और इसेकरने में वह उन सामान्य अनुदेशों का पालन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर इस विषय में जारी किये जायेंगे।

अर्हतायें

7-- कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा, यदि

(क) वह केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो या नैतिक पतन समन्वित आपराधिक अपराध के लिये सिद्ध-दोष हो.

(ख) उसका कोई सम्बन्धी उसकी नियुक्ति के समय परिषद का अथवा उसकी किसी परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष या सदस्य हो,

(ग) उसके किसी सम्बन्धी का स्वयं अथवा साझेदार द्वारा परिषद से किसी संविदा अथवा सेवायोजन के अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजन के लिये "सम्बन्धी" का तात्पर्य पिता, पितामह, श्वसुर, चाचा या पुत्र-पौत्र, सगे चाचा या मामा का लड़का, पत्नी का चचेरा या ममेरा भाई अथवा बहनोई से है।

वैवाहिक स्थिति

8-- कोई व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी एक पत्नी पहले से ही हो, नियुक्ति के लिये पात्र न होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद का यह समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त करने के लिये विशेष कारण है, तो वह यह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट कर सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

भाग 4-- वेतन तथा भत्ते

वेतन तथा भत्ते

9--(1) रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिये, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में अथवा अस्थायी रूप में नियुक्त हो, अनुमन्य वेतन-मान 200-10-240-द0रो0-10-290-द0रो0-10-310-15-355-द0रो0-15-400 रुपये होगा।

(2) राज्य सरकार जैसा तथा जब कभी आवश्यक हो, वेतनमान में परिवर्तन कर सकती है।

(3) पदधारी मंहगाई भत्ते का भी अधिकारी होगा जो सरकारी सेवकों को समय-समय पर स्वीकृत किये जायें.

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के रूप मं नियुक्ति के लिये किसी सरकारी सेवक का स्थानान्तरण वैदेशिक सेवा में किया जाय तो उसकी सेवा की शर्ते, स्थानान्तरण आदेश में दी गयी शर्तों द्वारा विनियमित होगी।

भाग 5 --भर्ती

अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण आदि प्रस्तुत करना

10-- रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किये जाने के पूर्व उस व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह-

(1) ऐसे विश्वविद्यालय या कालेज अथवा स्कूल के, जिसमें उसने सबसे अन्त में शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी का और दो उत्तरदायी व्यक्तियों का (जो सम्बन्धी न हो) जो उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भांति परिचित हों और जिनका उसके विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बन्ध न हो, सच्चरित्र होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद उसके प्राक्चरित्र तथा चरित्र के बारे में अतिरिक्त जांच कर सकती है, जो वह आवश्यक समझें. और

पत्र समर्थन

(2) किसी सिविल सर्जन से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

11-- इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी भी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिये अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

भाग 6 -- परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

परिवीक्षा

12-- (1) रजिस्ट्रार के पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि उन पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकता है। इस प्रकार बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के किसी आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक के लिये उक्त अवधि बढ़ायी जाय।

"स्पष्टीकरण-- किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी लगातार सेवा की गणना, उक्त परिवीक्षा-अवधि की गणना करने में की जायगी।"

(2) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान अथवा उसके अन्त में किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, अथवा वह अन्य रूप से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो परिषद् उसकी सेवाओं

को राज्य सरकार के अनुमोदन से समाप्त कर सकती है।

(3) कोई व्यक्ति जिसकी सेवायें उपनियम (2) के अधीन समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण

13--रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उसके पद पर स्थायी कर दिया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह कि -

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय, और

(ग) परिषद् उसे स्थायी करने के लिये उचित समझे।

दक्षता-रोक

14-- किसी भी व्यक्ति की दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायगी जब तक कि उसने दक्षतापूर्वक कार्य न किया हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न हो गयी हो।

परिवीक्षा के पश्चात् सेवा की समाप्ति

15-- परिषद् के अधीन वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरित किसी सरकारी सेवक से भिन्न, रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का कार्यकाल तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि--

(क) उसने लिखित रूप में अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना त्याग-पत्र न दे दिया हो और वह परिषद् द्वारा लिखित रूप से स्वीकार न कर लिया गया हो, अथवा उसकी सेवा परिषद् के सेवको की भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों के प्रवर्तन से समाप्त न हो जाय. या

(ग) परिषद् द्वारा उसे कम से कम तीन महीनें का नोटिस न दिया गया हो अथवा नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन के बराबर धनराशि न दी गयी हो, या

(घ) उसे अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार पदच्युत या सेवान्मुक्त न कर दिया गया हो अथवा सेवा से हटा न दिया गया हो।

भाग 7-- दण्ड तथा अपील

16--परिषद् को अधिनियम की धारा 24की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार को निम्नलिखित दण्ड देने का अधिकार होगा, अर्थात्

(क) निन्दा करना;

(ख) वेतन-वृद्धियाँ रोकना;

(ग) वेतन कम करना;

(घ) उपेक्षा या आदेशों का उल्लंघन करने के कारणपरिषद् को हुई आर्थिक हानि, पूर्णतः अथवा अंशतः उसके वेतन से वसूल करना;

(ङ) सेवा से हटाना जिससे वह भविष्य में सेवायोजन के लिये अनर्ह नहीं होगा;
(च) सेवा से पदच्युत करना, जिससे वह साधारणतया भविष्य में सेवायोजन के लिये अनर्ह हो जाएगा;

प्रतिबन्ध यह है कि हटाये जाने या पदच्युत किये जाने के दण्ड का आदेश तब तक वैध न होगा, जब तक कि वह परिषद के अध्यक्ष सहित कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा पारित न किया जाय।

प्रक्रिया

17--(1) (क) साक्ष्यों पर आधारित किसी आदेश से भिन्न कोई ऐसा आदेश, जिसके कारण उसे किसी फौजदारी न्यायालय में दोष-सिद्ध किया जाय, अथवा पदच्युत किया जाय, हटाया जाय या वेतन कम किया जाय, तब तक न दिया जायगा, जब तक कि उसे उन कारणों की, जिन पर ऐसी कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, लिखित रूप से सूचना न दे दी गयी हो, और उसे अपने बचाव के लिये पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो।

(ख) उन कारणों को, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, निश्चित आरोप या आरोपों का रूप दिया जायगा और उन्हें रजिस्ट्रार को सूचित किया जायगा, जिसके साथ अभिकथनों का, जिस पर प्रत्येक आरोप आधारित हो, और किसी अन्य परिस्थिति का एक विवरण-पत्र होगा, जिस पर मामले में आदेश देने के समय विचार करने का प्रस्ताव हो।

(क) उससे उचित समय के भीतर एक लिखित वक्तव्य देने और यह बतलाने की अपेक्षा की जायेगी कि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी सुनवाई करवाना चाहता है।

(घ) तत्पश्चात् परिषद के अध्यक्ष अथवा परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जांच की जायगी। उस जांच में ऐसे अभिकथनों पर मौखिक साक्ष्य, यदि कोई हो, सुना जायगा, जो स्वीकार किये गये हों, और उसे साक्षियों से जिरह करने, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने और ऐसे साक्षियों को बुलाने का हक होगा, जिन्हें वह बुलवाना चाहता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जांच करने वाला प्राधिकारी विशेष तथा पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(ङ) कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और उपपत्तियों (Finding) का विवरण तथा उनके कारण दिये होंगे।

(च) जांच करने वाला प्राधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक्, उस दण्ड से पृथक् जो रजिस्ट्रार पर आरोपित किया जायगा, अपनी शिफारिश भी कर सकता है।

(2) उपनियम (1) उस दशा में लागू न होगा, जब किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का सेवायोजन - परिवीक्षा अवधि में अथवा उसके अन्त में समाप्त करने का प्रस्ताव हो। ऐसे मामलों में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को ऐसे प्रस्ताव, कारणों से अवगत कराया जायगा, उसे उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के प्रति कारण बताने का अवसर दिया जायगा, और तदर्थ उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिये गये हों, यथाविधि विचार किया जायगा।

(3) रजिस्ट्रार के विरुद्ध जांच पूरी हो जाने के पश्चात् और आरोपित की जाने वाली शास्ति के सम्बन्ध में परिषद के किसी अस्थायी निष्कर्ष कर पहुंच जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार को, यदि प्रस्तावित शास्ति, पदच्युति हटाया जाना या वेतन में कमी करना हो तो कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि दी जायगी, जिसमें जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा दण्ड के सम्बन्ध में की गयी शिफारिशें, यदि कोई हों, सम्मिलित न होंगी और उससे ऐसे एक विशेष दिनांक तक जिसमें उसे न्यायोचित समय दिया जायगा, यह बतलाने के लिये कहा जायगा कि क्यों न उस पर प्रस्तावित शास्ति आरोपित की जाये।

(4) जब कभी परिषद का यह समाधान हो जाये कि ऐसा मार्ग अपनाने के लिये समुचित और पर्याप्त कारण विद्यमान है तो वह निम्नलिखित शास्ति आरोपित कर सकता है:-

[1] निंदा करना; या

[2]दक्षता-रोक पर वेतन-वृद्धि रोकना;

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार के विरुद्ध औपचारिक आरोप विरचित करवाया उसका स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक न होगा।

(5) उन समस्त दशाओं में, जिनमें परिषद में;

[1] वेतन के कालमान में उन प्रक्रमों पर, जहाँ दक्षतारोक न हो, वेतन वृद्धियाँ रोकने, या

[2] उपेक्षा या आदेश के उल्लंघन के कारण परिषद को हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः, वेतन में से वसूल करने की शास्ति आरोपित की हो, औपचारिक कार्यवाहियाँ, जिनमें अपराध या दोष का विवरण, रजिस्ट्रार का स्पष्टीकरण तथा दण्ड के कारण समाविष्ट हो, अभिलिखित की जायेगी।

निलम्बन

18-- नियम 22 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परिषद अपवाद-स्वरूप मामलों में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी समय रजिस्ट्रार को जांच के विचाराधीन रहने तक के लिये निलम्बित कर सकता है और तुरन्त ही उसके विरुद्ध आरोप या आरोपों के जांच की कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

निर्वाह भत्ता

19--जब रजिस्ट्रार निलम्बित किया जाय तो बोर्ड द्वारा उसे निलम्बन की अवधि के लिये निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। ऐसे भत्ते की धनराशि समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2, भाग-2 के फण्डामेन्टल रूल 53 के उपबन्ध के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

परिषद को मंगनी पर दिये गये वाह्य-सेवा के सरकारी सेवकों को सेवायोजन के लिए विशेष

20--(1) रजिस्ट्रार के रूप में सेवायोजन के लिये राज्य के सरकारी सेवक की सेवायें परिषद को ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर मंगनी दी जा सकती है, जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(2) जब परिषद यह निर्णय करे कि परिषद के अधीन काम करने वाले किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियाँ की जानी चाहिये तो अध्यक्ष निर्णय की एक प्रतिलिपि और उस मामले का समस्त संगत सामग्री तथा अभिलेख उस प्राधिकारी को भेजगा, जो सरकारी सेवक के रूप में उक्त कर्मचारी को दण्ड देने के लिये सक्षम हो और तत्पश्चात् वह प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उस सरकारी सेवाके, जिसमें वह सेवक हो, आनुशासनिक नियमों के उपबन्ध के अनुसार आवश्यक कार्यवाही

करेगा। अपीलें

21-(1) रजिस्ट्रार परिषद द्वारा दिये गये किसी दण्ड के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है:

(2) अपील;

(क) में ऐसे समस्त सारवान विवरण तथा तर्क दिये जायेंगे जिन पर अपीलकर्ता भरोसा करता हो;

(ख) सम्मान रहित या अनुचित भाषा में न लिखी जायेगी;

(ग) अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत की की जायगी; और

(घ) अपीलकर्ता को उस आदेश से सूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो।

(3) सरकारी सेवक, जिसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो, उस सरकारी सेवा के, जिसमें वह सेवक हो, आनुशासनिक नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील कर सकता है।

(4) राज्य सरकार मामले के अभिलेख को मंगा सकती है और अपील में उठाये गये विषयों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश देगी, जो उसे मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ठीक और साम्योचित प्रतीत हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा दण्ड में वृद्धि करने का प्रस्ताव हो तो सम्बद्ध व्यक्ति को प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायगा।

भाग 7 -- अन्य उपबन्ध

22-- रजिस्ट्रार की सेवा की शर्तों से सम्बद्ध सभी अन्य विषय, जिनकी यहाँ पर विशिष्टतया व्यवस्था नहीं की गयी है, यथासम्भव समान परिस्थिति के सरकारी सेवकों के लिये राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

23-- रजिस्ट्रार का सेवा से निवृत्त होने की आयु 58 वर्ष होगी, जिसके पश्चात् साधारणतया उसे परिषद की सेवा में सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के नहीं रहने दिया जायगा। रजिस्ट्रार की सेवा की अवधि इस प्रकार न बढ़ायी जाएगी कि वह 60 वर्ष की आयु पूरा करने के दिनांक से भी आगे सेवा में बना रहे।

24-- रजिस्ट्रार की छुट्टी और छुट्टी-भत्ते से सम्बद्ध सभी विषय यथासम्भव उसी रीति से विनियमित होंगे, जो फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2 भाग-2 से 4 (यू0पी0 फण्डामेन्टल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स) के अधीन सरकारी सेवकों के लिये लागू होते हैं।

25- रजिस्ट्रार पेंशन पाने का हकदार न होगा। वह भविष्य निधि योजना का लाभ उठा सकता है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से बनायी जा सकती है।

26-- यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम में प्रवर्तन से कोई अनुचित कष्ट (undue hardship) होता है तो वह नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं का उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हये अभिमुक्त कर सकता है अथवा शिथिल कर सकता है, जिन्हें वह उस मामले को ठीक और उचित रीत से निपटाने के लिये आवश्यक समझे।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India The Governor of Uttar Pradesh is pleased to publication of the following English translation of notification no. 7065-c/v-1012(5)-52 Date June 15,1966

No. 7065-c/v-1012(5)-52 Date June 15, 1966

In exercise of the power under clause (e) of sub-section (2) of section 42 of U.P. Indian Medicine Act, 1939 (U.P. Act. No/ x of 1939)The Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules the same having been previously published with notification no. 6141-c/v-1012(5)-52, dated January 28,1966 as required under sub-section (1) of the said section of the said Act:

PART – 1 (General)

1. **Short title and commencement-**(1) These Rules may be called the "Registrar of the Board of Indian Medicine, U.P..Service Rules, 1966".

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. **Definition**-In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(i) "Act" – means the U.P. Indian Medicine Act, 1939 (U.P. Act No. x of , 1939);

(ii) "Board" – mean's the Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh constituted under section -3 of the Act.

(iii) "Citizen of India" - mean a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution of India;

(iv) "State Government" – means the Government of Uttar Pradesh;

(v) "Governor" – means the Governor of Uttar Pradesh;

(vi) "President" – means the President of the Board; and

(vii) "Registrar" – means the Registrar of Board appointed under section 24 of the Act.

3. **Designatio**n--The Registrar of the Board shall be whole-time salaried servant of the Board.

PART II - Appointment

4. **Appointmen**t--Subject to the provisions of rule 12 the selection for thepost of the Registrar shall be made by the Board with the approvalof the State Government after inviting applicationsfromthein-tending candidates through advertisement in Press.

PART III - Qualification.

5. **Qualificatio**n-No person shall be appointed as a Registrar unless he-

(1) Essential -- (a) is a citizen of India or a subject of Sikkim:

(b) isnot less than 30 and not more than 45 yearsof age on the first day of January of the year in which the appointment if made;

(c) is in good mental and bodily health and freefrom any physical defect likely tointerferewith the efficient discharge of his duties;

(d) holds a degree of a University established by law in U.P. or of any other Universityrecognised for this purpose by the Governor of U.P.;

(e) can read and write Hindi in Devanagri script; and

(f) possesses administrative capacity and ex-perience of running a Government or public office for at least five year.

(2) Perferential-- (a) possessesa title or diploma or degree in Ayurveda or UnaniTibbregister able under the Act.

(b) has working knowledge of Urdu.

6. **Character**---The character of a candidate must be such as to render him suitable in all respect for appointment as Registrar under theBoard. The board shall satisfy itself of this point and in doing so shall follow the general instructions that may be issued by the state Government on the subject from time to time.

7. **Disqualification**---A person shall be disqualified for appointed as Registrarif –

(a) he has been dismissed from the service of the Centralor any State Government or any local authority or has been convicted for a criminal offenceinvolvingmoralturpitude;

(b) any of his relations is the Chairman or a member of the Board or any of its Advisory committee at the time of his appointment;

(c) Any his relations by himself or partner, has any interest indirectly or directly in any contract with, or employment under , the Board.

Explanation-For the purpose of this rule, "relation" means father, grand-father, father-in-law, paternal or maternal uncle, son grandson, first cousin, paternal or maternal wife's ,brother, or sister husband.

8. **Marital Status**--No person, who has more than one wife living, and no woman, who has married a person having already a wife shall be eligiblefor appointment;

Provided that the Board my, is satisfied, that there arespecial grounds for exempting any person from the operation of this rule, refer the matter to the State Government, whose deci sion shall be final.

PART IV – Pay and Allowance,

9.**Pay and Allowance—**

(1) The scale of payadmissible to a person appointed as Registrar, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be 200-10-240 EB-10-290. EB-10-310-310-15-155-EB-15-400.

(2) The State Government may revise the scale of pay as and when necessary.

(3) The incumbent will also be entitled to dearness allowanceas may be sectioned to Government servant a from time to time.

Provided that in the case of Government servant transferred to Foreign Service under the Board for appointment as Registrar the conditions of his service shall be regulated by the terms and conditions embodied in the transfer order,

PART V - Recruitment

10. Before a person is appointed as Registrar he will be required to -

(1) produce certificate of good character from the principal/academic officer of the University or College or school in which he was last educated and from two responsible persons (not relations) who are well acquainted with him in private life and are unconnected with his University, College, School, provided theBoard may make such further inquired regarding his antecedents and character as it may deem necessary; and

(2) Produce a certificate of fitness from a civil surgeon.

11. **Canvassing**---No recommendation, either written or oral, other than that required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment.

PART (VI) - Probation to Confirmation.

12. **Probation**-(1) A candidate on appointment to the post of Registrar in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

Provided that the appointing authority may for sufficient reasons to be recorded in writing, extend the period of probation for a further period not exceeding one year. Any such order shall specify the date up to which the extension is made;

"Explanation Continuous service rendered in an officiating ortemporary capacity in the post shall be counted for computingthe said period of probation."

(2). If it appears at any time during or at the end of the period or probation, or the extended period of probation, as thecase may be, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or if he has otherwise failed to give satisfaction, his service may with the approval of the State Government be dispensed with by the Board.

(3) A person whose services have been dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

13.**Confirmation-** A person appointed as Registrar shall be confirmed in his appointment at the end or the period or probation, or the extended period of probation, as the case may be, with the previous appro-val of the State Government provided:-

(a) His work and conduct, are found to be satisfactory ;

(b) His integrity is certified and

(c) The Board thinks that he is fit for confirmation.

14.**Efficiency bar**-- No person shall be allowed to cross the efficiency bars unless he has worked efficiently and his integrity is certified.

15.**Termination of service after Probation**-The term of office of a person appointed as a Registrar, other than a Government servant transferred on foreign service under the Board, shall not terminate until he has :-

(a) given his resignation addressed to the President in writing and it has been accepted in writing by the Board, or he cease to be in service by the operation of the rules regulating the retirement of the Board's servants; or

(b) given the Board at least three months' notice or has paid or assigned to the Board a sum equal to his three months' notice or has paid or assigned to the Board a sum equal to his three month's pay in lieu of notice or

(c) been given by the board not less than three month months' noticeon a sum equal to three months' pay in lieu of notice or

(d) been dismissed , discharged or removed according to the provisions of the Act or the rules made thereunder.

VII - Punishment s and Appeal

16. The Board shall subject to be provisions of sub-section (2) of Section 24 of the Act have the power to inflict the following punishments on the Registrar, namely

(a) Censure;

(b) Withholding of increments;

(c) Reduction in pay;

(d) Recovery from pay of the whole or part of anypecuniary loss caused to the Board by negligenceor breach of order

(e) Removal from service which does not disqualifyhim from future employment;

(f) Dismissal from service which ordinarily disqualifies him from future employment.

Provided that the order of punishment or removal or dis-missal shall not be valid unless passed by a resolution supported by not less than two -thirds of the members, including the President, constituting the board.

17**Procedure**-(1)(a). No order, other than an order based on facts which have ledto his conviction in a criminal court, of dismissal, removal orreduction in pay shall be passed unless he had been intimatedinwriting of the grounds on which it is proposed to take action and has been afforded an adequate opportunity of defending himself.

(b) The grounds on which it is proposed to take action shall be reduced in the form of a definite charge or charges, which shall be communicated to the Registrar together with a statement of the allegations on which each charge is based and of any other circumstancewhich it is proposed to take into consideration in passing orders in the case.

(c) He shall be required, within a reasonable time, to put in a written statement and to state whether he desire to be heard in person.

(d) Thereafter, an enquiry shall be held by the President of the Board or any other person or persons authorized by the Board. At that enquiry oral evidence if any, shall be heard on such of the allegations as are not admitted, and he shall be entitled to crossexamine the witnesses, to give evidence in person and to have, such witnesses called, as he may wish. Provided that the enquiring authority may for special and sufficient reasons to be recordedin writing, refuse to call a witness.

(e) The proceedings shall contain sufficient record of evidenceand a statement of the findings and the grounds thereof.

(f) The enquiring authority may also separately from these pro-ceding's make his own recommendation regarding the punishment to be imposed on the Registrar.

(2). Sub-rule (1) shall not apply where it is proposed to terminate the employment of a probationer whether during or at the end of period of probation. In such cases, the probationer shall be apprised of the grounds of such proposal, given an opportunity to show cause against the action to be taken against him, and his explanation in this behalf if any, shall be duly considered be-fore orders are passed by competent authority.

(3). After the enquiry against the Registrar has been completed and after the board had arrived at provisional conclusions in regard to the penalty to be imposed, the Registrar, if the penalty proposed is dismissal, removal or reduction in pay, shall be sup-plied with a copy of proceedings, excluding the recommendations, if any, in regard to the punishment proposed by the enquiring authority and asked to show cause by a particular date, which affords him reasonable time, why the proposed penalty should not be imposed on him

(4). Whenever the Board is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course it may impose the penalty of:

(i) Censure or

(ii) Stoppage at an efficiency bar;

Provided that it shall not be necessary to frame formal charges against the Registrar or to call for his explanation.

(5). In all cases where the Board Imposes the penalty of:-

(i) Withholding increments in the time scale at stages wherethere is no efficiency bar, or

(ii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary lose caused to the Board by negligence or breach of order; formal proceedings embodying a statement of the offence or fault, the explanation of the Registrar and the reasons for punishment shall be recorded.

18. **Suspension**-Notwithstanding anything to the contrary in rule 22 the Boardmay, in exceptional cases, for sufficient reasons to be recorded in writing and with the approval of the State Government, suspenda Registrar pending an enquiry at any time and immediately proceed with the investigation of the charge or charges against him.

19.**Subsistance allowance**- When a Registrar is suspended, he shall be given by the Board a subsistence allowance for the period of suspension. The amount of such allowance shall be determined in accordance with provision of Fundamental rule 53 of Financial Handbook Volume II Part II as amended from time to time.

20. **Special Rules of punishment for Government servant lent to the Board on foreign service---**
(1). The services of the State Government servant may be lent to Board for employment as Registrar on such terms and conditions as the State Government may decide,

(2). When the Board decides that disciplinary proceedings should be started against a Government servant under the employ of theBoard a copy of the decision together with all relevant material and records of the case shall be forward by the President to the authority competent to punish the employee as Government servant and such authority shall thereafter take necessary action in accordance with the provisions contained in the disciplinary rules of the Government service to which he belongs subject to the gene-ral or special order of Government issued from time to time in this behalf.

21. **Appeals**-(1). The registrar may appeal to the State Government against any order of punishment passed by the Board,
(ii). The appeal shall –

(a) contain all material statements and arguments relied onby the appellant,

(b) not be written in disrespectful or improper language;

(c) be submitted through the President, and

(d) be filed within 30 days of the communication to the appellant of the order appealed against.

(iii) A Government servant against whom disciplinary action has been taken under Rule 20 may appeal in accordance with the provisions contained in the disciplinary rules of the Government service to which he belongs.

(iv) The State Government may call for the record of the case and after consideration of the points raised in the appeal shall pass such order as appears to it just and equitable having regard to all the circumstances of the case:

Provided that when the punishment is proposed to be en-hanced by the State Government, the person concerned shall be giver opportunity to show cause against the proposed enhancement.

PART VIII - OTHER PROVISIONS

22. All other matters relating to the conditions of service of the Registrar not specifically provided for herein, shall be re-gulated as far as possible by the orders of the State Govern-ment for Government servants of comparable status.

23. **Retirment**-The age of retirement from service of the Registrar shall be 58 years, beyond which he shall not be ordinarily retained in the service of the Board, except with the previous Approval of the State Government. No extension shall be granted to the Registrar so as to retain him beyond the date on which he attains the age of 60 years. .

24. **Leave**- All matters relating to leave and leave allowances of the Registrar, as far as possible, shall be regulated in the manner applicable to Government servants under the Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV (U.P. Fundamental and Subsidiary Rules).

25. **Provident Fund**-The Registrar is not entitled to pension. He may get thebenefit of a Provident Fund Scheme, which may be established with the approval of the State Government.

26**. Relaxation from conditions of service**-Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service causes any unduehardship, it may, notwithstanding anything contained in the rules, by order dispense with or relax the requirements of thatrule subject to such extent and conditions as may be considerednecessary for dealing with the case in a just and equitable manner.